BRJE010066902023

Web copy Jehanabad

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, उपस्थितः– अरुण कुमार शर्मा सत्र वाद संख्या –603/2023 (संबंधित जहानाबाद महिला थाना कांड संख्या 06 सन् 2012)	
सूचिका	राज्य द्वाराः– सुमित्रा देवी, पति स्व0 सुरेश शर्मा, साकिन इस्माइलपुर, थाना मखदुमपुर, जिला जहानाबाद।
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन की तरफ से :–श्री शारदानन्द कुमार, लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण	1. बिपुल कुमार शर्मा, उम्र 42 वर्ष, पिता हरिवंश शर्मा, 2. हरीबंश सिंह, उम्र 72 वर्ष, पिता स्व0 शिवरतन शर्मा, 3. आशा देवी, उम्र 70 वर्ष, पति हरिवंश शर्मा,
द्वारा प्रस्तुत	अभियुक्त की तरफ से :– श्री मुकेश कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
घटना की तिथि	–
प्राथमिकी की तिथि	07.06.2012
आरोप पत्र की तिथि	31.12.2012
आरोप विरचना की तिथि	29.08.2023
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	05.10.2023
निर्णय तय करने की तिथि	24.06.2026
निर्णय की तिथि	03.07.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	-

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तगण का रैंक	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छुटने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	आरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0स0 के प्रयोजनों के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
ए–1	विपुल कुमार शर्मा	–	–	धारा 302/34, 304 बी/34, 201/34 भा0द0वि0	दोषमुक्त	–	–
ए–2	हरिवंश सिंह	–	–			–	–
ए–3	आशा देवी	–	–			–	–

साक्ष्य का परिशिष्ट

अनुक्रमणिका

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के गवाहों की सूची

A. अभियोजन :–

रैंक	नाम	गवाह की प्रकृति (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सा गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी. डब्लू. 1	कलटु उर्फ पुतेश कुमार	सूचक
पी. डब्लू. 2	श्रीमती देवी	अन्य गवाह
पी. डब्लू. 3	अरूण कुमार पाण्डेय	अन्य गवाह
पी. डब्लू. 4	विभूती देवी	अन्य गवाह
पी. डब्लू. 5	जितेन्द्र शर्मा	अन्य गवाह
पी. डब्लू. 6	अशोक कुमार शर्मा	अन्य गवाह
पी. डब्लू. 7	गंगाधर शर्मा	अन्य गवाह

B. बचाव पक्ष साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।

C. न्यायालय साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्शो की सूची

A. अभियोजन प्रदर्श :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी.1/ पी. डब्लू. 1	अभियोजन साक्षी संख्या 01. कलटु उर्फ पुतेश कुमार द्वारा प्राथमिकी आवेदन पर अपने पिता के लेख व हस्ताक्षर की पहचान की गई।

B. बचाव पक्ष प्रदर्श :– कोई नहीं।

C. न्यायालय प्रदर्श :– कोई नहीं।

D. वस्तु प्रदर्श :– कोई नहीं।

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण बिपुल कुमार शर्मा, हरीबंश सिंह एवं आशा देवी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 302/34, 304बी/34 व 201/34 भा0द0वि0 के लिये विचारण किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सूचिका ने अपनी बच्ची सीमा देवी की शादी बिपुल शर्मा के साथ आज से छः वर्ष पूर्व हिन्दु रीति रीवाज से की थी। शादी के बाद से हीं उसकी बच्ची को मोटर साईकिल के लिए मारा पीटा जाता था। बार–बार प्रताड़ीत होने पर वो उनलोगों से फोन पर बता दिया करती थी। वह अपने शक्ति अनुसार मोटरसाईकिल का आधा दाम तीस हजार रूपया नकद वर्ष 2008 में दिए

Web copy Jehanabad

थे। इसके बाद भी वे लोग संतुष्ट नहीं हो सके। बार–बार पैसे के लिए प्रताड़ना जारी रहा कहता था कि जब तक मोटरसाईकिल का पुरा पैसा लोकर नहीं दोगे तुम्हारा यही हाल रहेगा। इस संबंध में वह अपने बेटा को समझाने को भेजे, पर वह नहीं माने, बच्ची को लाने के लिए पन्द्रह दिन पहले अपने बेटा को भेजा तो उन लोगों ने आने भी नहीं दिया। उसकी बच्ची हमेशा यह कहती रहती थी कि ये लोग कहते है कि मोटरसाईकिल का पुरा पैसा नहीं भेजोगे तो तुम्हे मारकर फेक देंगे और बेटा को दुसरी शादी कर देंगे। उसकी बच्ची से 04.06.2012 को मोबाईल से अंतिम बार बात हुई थी तो बच्ची बोल रही थी कि ये लोग उसे जान से मारने का प्लान बना रहे है। उसकी बच्ची का एक पुत्र एक–एक पुत्री है। उसकी नाती हीं इस केस का गवाह बन सकता है। इसके बाद हम अपने बेटा को भेंट करने के लिए भेजे तो गॉव वालों से पता चला कि इन लोगों ने उसकी बच्ची को हत्या कर लाश को गायब कर दिया है। इस हत्या के लिए घर के सभी सदस्य, ससुर हरिवंश शर्मा, सास आशा देवी, देवर राहुल शर्मा, पति विपुल शर्मा, गोतनी सोनी देवी के नाम है।

3. सूचिका द्वारा दिये गए प्राथमिकी आवेदन के आधार पर जहानाबाद महिला थाना कांड संख्या 06/2012, दिनांक–07.06.2012 अंतर्गत धारा 304बी/34, 201/34 भा0द0वि0 के अधीन अभियुक्तगण बिपुल शर्मा, ससुर हरिवंश शर्मा, सास आशा देवी, गोतनी सोनी देवी, पति राहुल शर्मा के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पश्चात प्राथमिकी अभियुक्तगण राहुल शर्मा, सोनी देवी को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए शेष प्राथमिकी अभियुक्तगण विपुल शर्मा, हरिवंश शर्मा व आशा देवी के विरूद्ध घटना सत्य पाकर आरोप पत्र संख्या 45/2012, दिनांक 31.12.2012 अन्तर्गत धारा 304बी/201/34 भा0द0वि0 न्यायालय में समर्पित किया गया।

4. इस मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण विपुल शर्मा, हरिवंश शर्मा व आशा देवी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 304बी/201/34 भा0द0वि0 में अपराध का संज्ञान लिया गया तथा मामले को दौरा सुपूर्द किया गया। यह अभिलेख श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां से स्थानांतरण पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

5. इस मामले में न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302/34, 304बी/34 व 201/34 भा0द0वि0 में आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिस पर अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार किया गया व विचारण की मॉग की गयी।

Web copy Jehanabad

6. इस मामले में अभियोजन साक्षियों के परीक्षण के उपरांत, न्यायालय द्वारा धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उपरोक्त अभियुक्तगण का बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अपने को निर्दोष बताया। बचाव पक्ष ने अपने समर्थन में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

7. प्रस्तुत वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है ?

मंतव्य

8. इस वाद में अभियोजन पक्ष ने कुल 07 साक्षियों यथा अभियोजन साक्षी संख्या 01. कलटु उर्फ पुतेश कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 02. श्रीमती देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 03. अरूण कुमार पाण्डेय, अभियोजन साक्षी संख्या 04. विभूती देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 05. जितेन्द्र शर्मा, अभियोजन साक्षी संख्या 06. अशोक कुमार शर्मा एवं अभियोजन साक्षी संख्या 07. गंगाधर शर्मा को प्रस्तुत करके परीक्षित कराया है।

अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रदर्श अंकित कराया है:–

प्रदर्श पी.–1/पी.डब्लु.1 – अभियोजन साक्षी संख्या 01. कलटु उर्फ पुतेश कुमार द्वारा प्राथमिकी आवेदन पर अपने पिता के लेख व हस्ताक्षर की पहचान की गई।

9. अभियोजन साक्षी संख्या 01. कलटु उर्फ पुतेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मेरी बहन का नाम सीमा कुमारी, जिसकी शादी विपुल शर्मा के साथ वर्ष 2006–07 में हुई थी। शादी के बाद दो बच्चे शिवम व सुहानी हुई है। मेरी बहन अपनु ससुराल में रह रही थी। झगड़ा वर्ष 2012 में हुई है। मेरे पिताजी ने महिला थाना जहानाबाद में लिखित आवेदन झगड़ा के बाद दिया था। लिखित आवेदन मेरे पिता सुरेश शर्मा के लेख व हस्ताक्षर में है जिसे **प्रदर्श P-1/PW1** अंकित किया जाता है। मेरे पिता सुरेश शर्मा की मृत्यु हो चुकी है। मेरी मॉ सुमित्रा देवी की भी मृत्यु हो चुकी है। यह झगड़ा क्यों होता था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। झगड़ा के बाद मेरी बहन गायब हो गयी उसके बाद आजतक उसका शव भी नहीं मिला है। मेरे भैगना व भैगनी ने बताया कि मुझे आने में देर हुआ, उससे पहले मुदालयगण द्वारा मेरी बहन का शव को जला दिया गया था। मुदालय विपुल शर्मा को मैं पहचानता हूॅ।

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि मेरी बहन के ससुराल से उसकी मृत्यु के संबंध में सुचना मिली थी। मृत्यु की सूचना मेरी बहन के ससुराल वालों द्वारा दी गई थी। मुझे अपनी बहन के ससुराल जाने में विलंब हो गया जिसके

Web copy Jehanabad

कारण उसके ससुराल वालों ने मेरी बहन का लाश जला दिया था। मेरी बहन के ससुराल वालों व गावों वालों से पता चला कि मेरी बहन की उल्टी व दस्त हो जाने के कारण तबीयत खराब हो गई थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। लाश हमलोगों के पहुँचने से पहले जला दिये जाने के कारण हमलोग बहन के ससुराल वालों से नाराज थे। मेरे माता पिता द्वारा उसी नाराजगी के कारण यह केस कर दिया गया था। इस केस में सच्चाई का पता चलने के बाद आपस में सुलह कर लिए है। मेरे मृतक बहन के पुत्र व पुत्री अपने दादा–दादी व पिता के साथ सही सलामत से रहते है।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 02. श्रीमती देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है मेरी जोत पुतोहु मर गई थी। वह कैसे मरी मुझे जानकारी नहीं है। घटना के समय मैं दिल्ली में रहती थी। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि ऐसी बात नही है कि मै ंपुलिस को बयान दिया था कि सिमा देवी के पति शादी के बाद से हीं मोटरसाईकिल की मांग करते थे और उसे प्रताड़ित करते थे, वर्ष 2008 में मोटरसाईकिल व तीस हजार रूपया भी दिया था, मगर वह संतुष्ट नहीं हुआ, उसके बाद घटना के 15–20 दिन पहले सिमा के भाई मोटर लेने आया था, लेकिन सिमा का पति सास ससुर और गोतनी सोनी देवी, देवर राहुल कुमार सिमा को जाने नहीं दिया, मोटर साईकिल व पुरा पैसा नहीं दोगे तो सिमा को मार कर फेंक देंगे, उसके बाद सिमा को उसके पति, सास, ससुर, देवर और गोतनी मिलकर जान से मारकर उसकी लाश को गायब कर दिए। ऐसी बात नही है कि मुदालय की गोतनी होने के कारण सच्ची घटना को छुपा ली हूँ, और झुठी गवाही दी हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि सिमा व उसके पति के बीच अच्छा संबंध था। शादी के बाद उसे दो बच्चे हुए थे, शिवम व सुहानी का जन्म हुआ था, जो अपने पिता के साथ अच्छे से रहते है। सिमा के पति सिमा के साथ कोई मारपीट नही करता था और अच्छा से रखता था। सिमा की मृत्यु डायरीया व सर दर्द के कारण हो गई थी।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 03. अरूण कुमार पाण्डेय ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मुझे जानकारी नहीं है, कि कब की घटना है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि ऐसी बात नही है कि मै ंपुलिस को बयान दिया था कि सिमा देवी के पति शादी के बाद से हीं मोटरसाईकिल की मांग करते थे और उसे प्रताड़ित करते थे, वर्ष 2008 में मोटरसाईकिल

Web copy Jehanabad

व तीस हजार रूपया भी दिया था, मगर वह संतुष्ट नहीं हुआ, उसके बाद घटना के 15–20 दिन पहले सिमा के भाई मोटर लेने आया था, लेकिन सिमा का पति सास ससुर और गोतनी सोनी देवी, देवर राहुल कुमार सिमा को जाने नहीं दिया, मोटर साईकिल व पुरा पैसा नहीं दोगे तो सिमा को मार कर फेंक देंगे, उसके बाद सिमा को उसके पति, सास, ससुर, देवर और गोतनी मिलकर जान से मारकर उसकी लाश को गायब कर दिए। ऐसी बात नही है कि मुदालय की मेल में आकर सच्ची घटना को छुपा लिया हूँ, और झुठी गवाही दिया हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि मुदालय के घर से मेरे घर काफी दूरी पर है। घटना के बारे में सुने थे, मैं घटना के समय पटना में था।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 04. विभूति देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मुझे जानकारी नहीं है, कि कब की घटना है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि ऐसी बात नही है कि मै ंपुलिस को बयान दिया था कि सिमा देवी के पति शादी के बाद से हीं मोटरसाईकिल की मांग करते थे और उसे प्रताड़ित करते थे, वर्ष 2008 में मोटरसाईकिल व तीस हजार रूपया भी दिया था, मगर वह संतुष्ट नहीं हुआ, उसके बाद घटना के 15–20 दिन पहले सिमा के भाई मोटर लेने आया था, लेकिन सिमा का पति सास ससुर और गोतनी सोनी देवी, देवर राहुल कुमार सिमा को जाने नहीं दिया, मोटर साईकिल व पुरा पैसा नहीं दोगे तो सिमा को मार कर फेंक देंगे, उसके बाद सिमा को उसके पति, सास, ससुर, देवर और गोतनी मिलकर जान से मारकर उसकी लाश को गायब कर दिए। ऐसी बात नही है कि मुदालय की मेल मे आकर मैं सच्ची घटना को छुपा ली हूँ और झुठी गवाही दी हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं बाहर रहती हूँ।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 05. जितेन्द्र शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सिमा कुमारी रिश्ते में मेरी पुतोहु लगती है। सिमा की मृत्यु करिब 14–15 वर्ष पहले हो चुका है। घटना के समय मैं बाहर था, बाद में घटना के बारे में जानकारी हुआ था। मुझे जानकारी नहीं है कि गवाह में मेरा भी नाम था। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि ऐसी

Web copy Jehanabad

बात नही है कि मै ंपुलिस को बयान दिया था कि विपुल कुमार और उसके पिता, मॉ व भाई सभी मिलकर, दहेज की कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दिए और लाश को गायब कर दिए। ऐसी बात नही है कि मुदालय की मेल मे आकर सच्ची घटना को छुपा लिया हूॅ, और झुठी गवाही दिया हूॅ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि दोनों की शादी के बाद अच्छा संबंध था। शादी के बाद तीन बच्चे ने जन्म लिया था, जिसमें दो जिन्दा है और एक की मृत्यु हो गयी है।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 06. अशोक कुमार शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सिमा कुमारी रिश्ते में मेरी पुतोहु लगती है। सिमा की मृत्यु करिब 14—15 वर्ष पहले हो चुका है। घटना के समय मैं बाहर था, बाद में घटना के बारे में जानकारी हुआ था। मुझे जानकारी नहीं है कि गवाह में मेरा भी नाम है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि ऐसी बात नही है कि मै ंपुलिस को बयान दिया था कि विपुल कुमार और उसके पिता, मॉ व भाई सभी मिलकर, दहेज की कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दिए और लाश को गायब कर दिए। ऐसी बात नही है कि मुदालय की मेल मे आकर सच्ची घटना को छुपा लिया हूॅ, और झुठी गवाही दिया हूॅ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि दोनों की शादी के बाद अच्छा संबंध था। शादी के बाद तीन बच्चे ने जन्म लिया था, जिसमें दो जिन्दा है और एक की मृत्यु हो गयी है।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 07. गंगाधर शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना कब की है मुझे जानकारी नहीं है। सुमित्रा को मैं नहीं पहचानता हूॅ। विपुल शर्मा की औरत आज से लगभग 12—14 वर्ष पूर्व मर गई है। शादी के कितने दिनों के बाद मरी थी मैं नहीं बता सकता हूॅ। विपुल शर्मा की औरत कैसे मर गई मैं नहीं बता सकता हूॅ। मुदालय को पहचानता हूॅ।

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। मुकर से जहानाबाद की दूरी लगभग 10 किमी है।

16. इस मामले में राज्य की ओर से विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि इस मामले को अभियोजन, संदेहों के परे स्थापित करने में सफल रहा है। इस मामले के साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या 01. कलटु उर्फ पुतेश कुमार के साक्ष्य से अभियोजन कथानक स्थापित हुआ है। अंत में, उनके द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

Web copy Jehanabad

17. अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का अपनी बहस में कहना है कि अभियोजन इस मामले को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। उनके द्वारा बहस में आगे कहा गया कि अभियोजन ने अपने समर्थन में सात साक्षियों को परीक्षित कराया है, जिसमें से पॉच साक्षी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किए गए है और उन्होंने ने अपने साक्ष्यों में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 07. गंगाधर शर्मा, यद्यपि कि पक्षद्रोहीं घोषित नहीं हुआ है, परन्तु उसने अपने मुख्य परीक्षण में हीं मृतिका की मृत्यु कैसे हुई, इस संबंध में जानकारी नहीं होने का कथन किया है। बहस में आगे कहा गया कि इस मामले के अभियोज साक्षी संख्या 01. कलटु उर्फ पुतेश कुमार, जो कि मृतिका का भाई है, ने अपने साक्ष्य में दहेज की मांगा को लेकर मृतिका को प्रताड़ित करने का कोई कथन नहीं किया है तथा गुस्से में आकर माता–पिता के द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने का कथन किया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मामले में सुलह हो गई है। अन्त में उनके द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

परिशीलन(Discussion)

18. उभय पक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख व उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

19. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित नियम है कि अभियोजन पर यह प्राथमिक दायित्व होता है कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें। यह भी सुस्थापित नियम है कि आपराधिक मामलों में जहॉ सजा का प्रावधान कठोर है, तो वहॉ पर सबूत का स्तर भी उतना हीं उच्च, अकाट्य और विश्वसनीय होना चाहिए और यदि ऐसा नहीं है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। इस मामले में अभियोजन, अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने में कहां तक सफल रहा है इसके लिए अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्यों की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

20. साक्ष्य समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम अभियोजन साक्षी संख्या 01. कलटु उर्फ पुतेतश कुमार के साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूॅ कि यह साक्षी मृतिका का भाई है तथा इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना के सबंध में लिखित आवेदन अपने पिता सुरेश शर्मा के द्वारा देने तथा लिखित आवेदन को पहचानने का कथन किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसके पिता व माता की मृत्यु हो चुकी है, अभियोजन ने लिखित आवेदन को प्रदर्श पी–1 अंकित कराया है। इस साक्षी ने आगे

web copy Jehanabad

कथन किया है कि उसकी बहन सीमा की शादी वर्ष 2006–07 में विपुल शर्मा के साथ हुई थी और झगड़ा वर्ष 2012 में हुआ था। इस साक्षी ने झगड़ा क्यों हुआ इसकी जानकारी नहीं होने का कथन किया है। उसके बाद उसकी बहन गायब हुई थी और उसके बाद उसका शव भी नहीं मिला था। हालांकि आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि उसके भगिना और भगिनी ने बताया कि उसके पहुॅचने में देर होने के कारण मुदालयगण द्वारा उसकी बहन को जला दिया गया था।

इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा दहेज के रूप में मोटरसाईकिल की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी बहन के ससुराल से उसकी मृत्यु के संबंध में सुचना मिली थी। मृत्यु की सूचना उसके बहन के ससुराल वालों द्वारा दिया गया था। उसे अपनी बहन के ससुराल जाने में विलंब हो गया जिसके कारण उसके ससुराल वालों ने उसकी बहन को लाश जला दिया था। इस साक्षी ने आगे कथन किया है बहन के ससुराल वालों व गावों वालों से पता चला कि उसकी बहन की उल्टी व दस्त हो जाने के कारण तबीयत खराब हो गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि लाश इन लोगों के पहुॅचने से पहले जला दिये जाने के कारण ये लोग बहन के ससुराल वालों से नाराज थे और उसी नाराजगी के कारण उसके माता–पिता के द्वारा यह केस कर दिया गया था। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसकी मृतक बहन के पुत्र व पुत्री अपने दादा–दादी व पिता के साथ सही सलामत से रहते है।

इस प्रकार, इस साक्षी के साक्ष्य की समग्र समीक्षा से दर्शित होता है कि इस साक्षी ने अपने सम्पूर्ण साक्ष्य में दहेज की मांग को लेकर अभियुक्तगण के द्वारा मृतिका को प्रताड़ित किए जाने तथा दहेज की मांग को लेकर मृतिका की मृत्यु कारित किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है, जिससे अभियोजन कथानक का स्थापित होना नहीं पाता हूॅ।

Web copy Jehanabad

21. साक्ष्य समीक्षा के अग्रिम क्रम में अभिलेख के परिशीलन से पाता हूॅ कि इस मामले में अभियेाजन द्वारा परीक्षित कराए गए अभियोजन साक्षी संख्या 02. श्रीमती देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 03. अरूण कुमार पाण्डेय, अभियेाजन साक्षी संख्या 04. विभूती देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 05. जितेन्द्र शर्मा, अभियेाजन साक्षी संख्या 06. अशोक कमार शर्मा, इन साक्षियों ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन नहीं किया है तथा मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं होने का कथन किया है, जिसके कारण अभियोजन द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर उनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन कथानक स्थापित हो सके।

अभियोजन साक्षी संख्या 07. गंगाधर शर्मा को यद्यपि कि अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है, परन्तु इस साक्षी ने भी अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा मृतिका की मृत्यु कैसे हुई, इस संबंध में जानकारी नहीं होने का कथन किया है।

22. अभिलेख के अग्रेत्तर परिशीलन से पाता हूँ कि इस मामले में अभियोजन द्वारा अनुसंधानक व अन्य साक्षियों को परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं कराया गया है और उपस्थित न कराए जाने का कोई कारण हीं दर्शित किया है।

23. इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों, साक्ष्यों, तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक अवलोकन, परिशीलन व समीक्षा के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि इस मामले में अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध अपने मामले को संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। आपराधिक विधि में अभियोजन कि यह महती जिम्मेदारी होती है कि वह अपने मामले को सभी प्रकार के युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करें। यदि अभियोजन अपने मामले को संदेहों से परे साबित करने में असफल रहता है तो अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है।

24. अतः अभियुक्तगण बिपुल कुमार शर्मा, हरीबंश सिंह एवं आशा देवी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 302/34, 304बी/34 व 201/34 भा0द0वि0 में विरचित आरोपों से उसे संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है, इसलिए उनके जमानतदारों को उनके बंधपत्रों के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

25. कार्यालय लिपिक अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया।

लेखापित

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम।
जहानाबाद।
दिनांकः—03.07.2026

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम।
जहानाबाद।
दिनांकः—03.07.2026

Web copy Jehanabad

Web copy Jehanabad